



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082021-229141
CG-DL-E-19082021-229141

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3138]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2021/श्रावण 27, 1943

No. 3138]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2021/SHRAVANA 27, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

का.आ. 3391(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पटिआला बाईपास एंव पटिआला बाईपास एक्सटेंशन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नव प्रस्तावित के किमी 0.000 किमी से 39.000 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत उत्तरी पटिआला बाईपास एंव पटिआला बाईपास एक्सटेंशन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- नव प्रस्तावित के किमी 0.000 किमी से 39.000 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला राजस्व अधिकारी,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	पंजाब	पटिआला	पटिआला	1 उचा गाँव (14)

	पटियाला	नव प्रस्तावित के कि.मी. 0 से 39 तक				2 रणबीरपुरा (39)
--	---------	--	--	--	--	------------------

[फा. सं. LA/11013/LACMinutes/2020(computer no. 5369)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th August, 2021

S.O. 3391(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of Northern Patiala Bypass and Patiala Bypass Extension land from Km. 0.000 to Km. 39.000 of the Newly Proposed for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation District Patiala in the State of PUNJAB.

SCHEDULE

Land acquisition of Northern Patiala Bypass and Patiala Bypass Extension on National Highway No. Newly Proposed Km. 0.000 to Km 39.000 District Patiala in the State of PUNJAB.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer, Patiala	0KM To 39KM	PUNJAB	PATIALA	Patiala	1 Ucha Gaon (14)
						2 Ranbirpura (39)

[F. No. LA/11013/LACMinutes/2020(computer no. 5369)]

RAJESH GUPTA, Director